Order sheet [Contd]

case No. BA-80 / 2018

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

05-03-18

आवेदक सुनील जाटव सहित श्री आर.सी. यादव अधिवक्ता उप०। राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल विशेष लोक अभियोजक उप०।

अभियोजन की ओर से आवेदन अंतर्गत धारा—451 दं०प्र०सं० का कोई लिखित उत्तर न देते हुए मौखिक रूप से तर्क करना व्यक्त किया गया।

आवेदन अंतर्गत धारा—451 दं०प्र0सं० पर उभयपक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किए गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसका वीडियोग्राफी का कैमरा एवं साधारण कैमरा बैटरी मोबाइल एवं अन्य सामान लूट लिया गया था, जो कि अभियुक्तगण से बरामद हो चुका है। कैमरा उनके रोजगार से संबंधित है, जिससे वह विवाह आदि के कार्यक्रमों में वीडियोग्राफी करता है तथा फोटो लेता हैं उक्त सामान अधिक समय तक रखे रहने से उनके खराब होने की संभावना है। उक्त आधार पर उक्त सभी सामग्री सुपुर्दगी पर दिए जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से कोई विशेष आपत्ति नहीं की गई है। उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 05.12.2017 को शाम 07:30 बजे के लगभग गृहीसर जिमनिया रोड पर फरियादी सुनील जाटव और उसके साथी दिनेश जाटव के साथ वीडियो कैमरा, कैमरा कीमती 90,000 / - रूपए पर्स व रूपए 9,700 / -, नोकिया मोबाइल, दिनेश का सैमसंग कंपनी के टच मोबाइल की लूट कारित हुई है। अभियोजन के अनुसार जिसमें से बलवीर सिंह के आधिपत्य से फोटो कैमरा राहल के आधिपत्य से एक पर्स जिसमें 500 / -रूपए एक विजिटिंग कार्ड, फलेश, वीडियो कैमरे की बैट्रिया, फोटो कैमरे का एक चार्जर तथा वीडियो कैमरा का एक चार्जर एवं सतीश के आधिपत्य से एक वीडियो कैमरा जप्त किया गया है। अभियोजन के अनुसार उक्त कैमरे नकदी एवं अन्य सामान आवेदक स्नील जाटव के ही होना प्रकट होते हैं। वर्तमान तक भी अभियुक्तगण द्वारा उक्त सामग्री पर कोई क्लेम नहीं किया गया है। आवेदक की ओर से दोनों कैमरों के संबंध में सूवी डिजिटल स्अडियो मुरार ग्वालियर की रसीद दिनांक 21.10.2014 की फोटोकॉपी भी प्रस्तुत की गई है। असल रसीद लूट किए गए बेग में होना बताया है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टि में ही आवेदक ही उक्त जप्तश्दा सामग्री का स्वामी होना प्रकट होता है।

अतः उक्त कैमरे, फुलेश, चार्जर, बैट्री आदि को आवेदक को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त सामग्री की कीमत लगभग 1,10,000 / – रूपए होना अभियोजन के अनुसार बताई गई है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदिका से 1,10,000 / – रूपए का स्पूर्दगीनामा और इतनी ही राशि की जमानत प्रस्तुत कराया जाना न्यायोचित है। आवेदन स्वीकार किया गया।

आवेदक सुनील जाटव की ओर से यदि 1,10,000 / – रूपए का सुपुर्दगीनामा एवं इतनी ही राशि की सक्षम जमानत इस आशय की प्रस्तुत की जावे कि अवेदक उक्त सामग्री को सुपुर्दगी पर लेने के पश्चात उसे कहीं बिक्रय या खुर्द बुर्द नहीं करेगा, उसके आकार, प्रकार एवं रंग, रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तथा जब भी न्यायालय द्वारा आदेश किया जाएगा, तो अपने स्वयं के खर्चे पर उक्त आभूषणों को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तथा उक्त सभी सामान की एक फोटो लेकर सुपूर्दगी पर प्राप्त होने की दिनांक से पांच दिवस के भीतर उनके फोटो प्रस्तुत करेगा, तो आवदक को उक्त सभी सामग्री बाद शिनाख्ती कार्यवाही प्रकरण के अंतिम निराकरण तक के लिए सुपूर्दगी पर प्रदान किए जावे। इस संबंध में थाना प्रभारी मौ की ओर पत्र प्रेषित किया जावे ।

आदेश की प्रति केस डायरी सहित थाना प्रभारी मो की ओर प्रेषित की जावे।

यह प्रपत्र अभियोगपत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न किए जावें।

्राते हेतु पूर्ववर (मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश (डकेती) गोहद जिला भिण्ड प्रकरण चालन/अभियुक्त की उपस्थिति हेतु पूर्ववत् दिनांक 14.03.2018 को पेश हो।

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
ELIA PA	SILANIE SUNTA RECO	
(2)	- 也。 在也。	Alex
	ALLEN A LA L	
	STILL STORY	

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
The state of the s	necessayry

A THAT I FREE TO SEE THE SECOND SECON

